

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)


आदेश


मधेपुरा जिले के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार-प्रसार बैनर्स /पोस्टर्स /होर्डिंग्स /दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार "धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास /रूपये 1000/- (रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों /संस्थाओं /दुकानदारों /व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स /पोस्टर्स /होर्डिंग्स /दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार-प्रसार करना बंद करें एवं मधेपुरा जिले में लगाये गये इस तरह के बैनर्स /पोस्टर्स /होर्डिंग्स /दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संगत कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र को TAPS (Tobacco Advertisement Promotion and Sponsorship) मुक्त कर अधोहस्ताक्षरी को एक माह के अंदर सूचित करें।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।


ज. एस. प्रसाद


जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
मधेपुरा।

ज्ञापांक325...../गो0 मधेपुरा, दिनांक 03/02/2014

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा /जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।


प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इकनामिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी /राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


ज. एस. प्रसाद


जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
मधेपुरा।

THE STATE OF TEXAS,
COUNTY OF [illegible]

[Illegible text, likely a recital or description of the property being conveyed.]

Witness my hand and seal this [illegible] day of [illegible] 19[illegible].

[Illegible signature]

[Illegible text, likely a notary or witness statement.]

[Illegible signature]

[Illegible text, likely a recital or description of the property being conveyed.]

Witness my hand and seal this [illegible] day of [illegible] 19[illegible].

[Illegible signature]

[Illegible text, likely a notary or witness statement.]

[Illegible signature]

[Illegible text, likely a recital or description of the property being conveyed.]

Witness my hand and seal this [illegible] day of [illegible] 19[illegible].

[Illegible signature]

[Illegible text, likely a notary or witness statement.]